बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग, पटना।
पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–12 / 2026– 2336

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक : 08/10/26

विषय : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चिन्हित जलाशयों के जलधारण क्षेत्र में वाटर स्पोर्टस गतिविधियों को संचालित करने हेतु अनापत्ति निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761 एवं 5762 दिनांक 16.09.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निम्नांकित चिन्हित जलाशयों के जलधारण क्षेत्र में वाटर स्पोर्टस गतिविधियों को संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

जिला	प्रस्तावित स्थल	संबंधित कार्यपालक अभियंता
मुंगेर	खड़गपुर जलाशय	सिंचाई प्रमंडल, तारापुर
जमुई	गड़ही / अपर किउल जलाशय	सिंचाई प्रमंडल, जमुई
बांका	बदुआ जलाशय	सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा
बांका	ओढ़नी जलाशय	सिंचाई प्रमंडल, बांका
मुंगेर	आंजन / कुकुरझप जलाशय	सिंचाई प्रमंडल, लक्ष्मीपुर, जमुई
जमुई	नागी जलाशय	सिंचाई प्रमंडल, झाझा
जमुई	नकटी जलाशय	सिंचाई प्रमंडल, झाझा
लखीसराय	मोरवे जलाश्य	सिंचाई प्रमंडल, सिकंदरा
डिहरी	इन्द्रपुरी बराज क्षेत्र	सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी

अतः मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निदेशानुसार उपरोक्त सारणी में अंकित जलाशयों के जलधारण क्षेत्र में वाटर स्पोर्टस गतिविधियों को संचालित करने हेतु निम्न शर्त्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. वाटर स्पोर्टस गतिविधियों के कारण आस–पास निर्मित किसी भी संरचना से कोई छेड़छाड़ / क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर विभागीय स्वामित्व बना रहेगा।
3. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों संबंधी रूप रेखा जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को समर्पित करना होगा एवं उनकी सहमति के उपरांत ही वाटर स्पोर्टस गतिविधियाँ किया जायेगा।
5. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। वाटर स्पोर्टस गतिविधियों के दरम्यान

कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

6. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों के दौरान विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
7. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों के दरम्यान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मानना होगा।
8. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work) जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को कराना होगा।
9. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों की विशिष्टि एवं गुणवत्ता की जवाबदेही कार्यकारी विभाग की होगी।
10. भविष्य में वाटर स्पोर्टस गतिविधियों का विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।
11. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों से जल प्रवाह / Waterway प्रभावित या अतिक्रमित नहीं होना चाहिए।
12. प्रस्तावित वाटर स्पोर्टस गतिविधियों हेतु आवश्यकतानुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
13. डैम सेफ्टी एक्ट, 2021 में निहित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
14. यदी किसी प्रकार के संरचना का निर्माण किया जाना होगा, तो विधिवत् प्रक्रिया अपना कर पर्यावरण विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) प्राप्त किया जायेगा।
15. उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

07/10/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–12 / 2026–2336 पटना, दिनांक : 08/10/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर / मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई / अधीक्षण अभियंता, सोन बराज अंचल, डिहरी / संचाई प्रमंडल, तारापुर / सिंचाई प्रमंडल, जमुई / सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा / सिंचाई प्रमंडल, बांका / सिंचाई प्रमंडल, लक्ष्मीपुर, जमुई / सिंचाई प्रमंडल, झाझा / सिंचाई प्रमंडल, सिकंदरा / सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–12 / 2026–2336 पटना, दिनांक : 08/10/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय